न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 76 / 2022

1 सुरेन्द्र कुमार पुत्र हरीशचन्द्र जाति जाट निवासी सौकड़ा की ढाणी तन छापौली हाल निवासी जमात उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 श्रीमान राजस्व सचिव व राजस्थान सरकार जयपुर सेकेट्रीट जयपुर।
2 जिला कलेक्टर महोदय झुन्झुनू जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी. एक्ट 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री बअदालत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज. मुकदमा उनवानी हरीशचन्द्र बनाम श्रीमान राजस्व सचिव आदि, मु.नं. (88 / 98) 90 / 2006, दावा बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा निर्णय व डिक्री दिनांक 07.04.2022

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजकीय अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 13.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 90/2006 में पारित निर्णय दिनांक 07.04.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट एक वाद घोषणार्थ व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 1272 वाके ग्राम छापौली का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि निर्णयय व डिक्री जैर बहस स्पीकिंग नहीं है। अपीलांट की प्लींडिग का विचारण न्यायालय के यहां रेस्पोडेन्टस की तरफ से खण्डन नहीं किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य का रेस्पोडेन्टस की तरफ से खण्डन नहीं किया गया है। इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने मनमर्जी से अपीलान्ट के दावा को खारिज करने में तथ्य व विधि की भूल की है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य को निर्णय व डिक्री जैर बहस में डिस्कस नहीं किया है। तथाकथित रेफरेन्स के आदेश की विवेचना गलत की गई है। अपीलांट ने अपनी प्लींडिग व दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

से दावा को साबित किया है व रेफरेन्स की कार्यवाही समरी होती है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट मंजूर फरमाई जाकर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.04.2022 को अपास्त किया जाकर अपीलांट के दावा को बहक अपीलांट डिक्री किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि ग्राम छापौली की जमाबन्दी सम्वत 2051–54 भूमि खसरा नम्बर 712 रकबा 5.05 हैक्टेयर में इस आशय का नोट अंकित है कि जरिये नामान्तकरण संख्या 364 खसरा नम्बर 712 रकबा 5.05 हैक्टेयर की खातेदारी हरिशचन्द्र पिता बिड़दूराम के बजाय सिवायचक नाकाबिल काश्त गैर मुमकिन डुगरी पटपट पहाड़ की खातेदारी में स्वीकार हुई। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय झुन्झुनू द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में पेश रेफरेन्स के आधार पर भूमि को राजकीय कर दीगर व्यक्तियों के नामान्तकरण को खारिज कर राजकीय घोषित किया है। वाद पत्र में वर्णित भूमि राजकीय खाते में दर्ज है तथा किस्म गैर मुमकिन पहाड़ है जो कि प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है। प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि में खातेदारी देने का अधिकार न्यायालय को नहीं है। उक्त विवेचन से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र सरकार भूमि में खातेदारी देने से संबंधित होने के कारण खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम छापौली की जमाबन्दी सम्वत 2051–54 भूमि खसरा नम्बर 712 रकबा 5.05 हैक्टेयर में इस आशय का नोट अंकित है कि जरिये नामान्तकरण संख्या 364 खसरा नम्बर 712 रकबा 5.05 हैक्टेयर की खातेदारी हरिशचन्द्र पिता बिड़दूराम के बजाय सिवायचक नाकाबिल काश्त गैर मुमकिन डुगरी पटपट पहाड़ की खातेदारी में स्वीकार हुई। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय झुन्झुनू द्वारा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में पेश रेफरेन्स के आधार पर भूमि को राजकीय कर दीगर व्यक्तियों के नामान्तकरण को खारिज कर राजकीय घोषित किया है। वाद पत्र में वर्णित भूमि राजकीय खाते में दर्ज है तथा किस्म गैर मुमकिन पहाड़ है जो कि प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है। प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि में खातेदारी देने का अधिकार न्यायालय को नहीं है। उक्त विवेचन से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र सरकार भूमि में खातेदारी देने से संबंधित होने के कारण खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोलजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)